न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/142/2023 रजू दिनांकः 27.12.2023 रजि0 न0 2023/714

अपीलार्थीः–

डॉ अशोक कुमार मीणा पुत्र रूडाराम, निवासी ग्राम पोस्ट कारोड़ा, तहसील कारोड़ा, जिला कोटपूतली–बहरोड़–301020 (राज0)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.01.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 01.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को निर्देशित किया जाता है, की सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, की यदि सूचना देयता की श्रैणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)